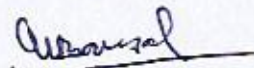


क्षतिपूरक वृक्षारोपण करने बाबत वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मुजफ्फरनगर—सहारनपुर मार्ग (एस0एच0-59) के कि0मी0 05.90 से कि0मी0 16.00 (प्रस्तावित किमी0 0.00 से किमी0 10.10) तक के भाग में 4-लेन विद पेड्ड शोल्डर करने हेतु आवश्यक वन भूमि के वर्तमान मूल्य एवं उसमें पड़ने वाले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु आवश्यक धनराशि का नियमानुसार भुगतान उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, उपशा द्वारा वन विभाग को किया जायेगा।



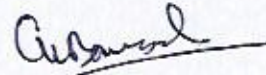
(ए0के0 बसल)

परियोजना महाप्रबन्धक (पश्चिम),
उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशां),
क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण करने बाबत वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मुजफ्फरनगर-सहारनपुर मार्ग (एस0एच0-59) के कि0मी0 16.00 से कि0मी0 58.85 (प्रस्तावित किमी0-10.10 से किमी0-52.950) तक के भाग में 4-लेन विद पेव्ड शोल्डर करने हेतु आवश्यक वन भूमि के वर्तमान मूल्य एवं उसमें पड़ने वाले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु आवश्यक धनराशि का नियमानुसार भुगतान उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, उपशा द्वारा वन विभाग को किया जायेगा।



(ए0के0 बंसल)

परियोजना महाप्रबन्धक (पश्चिम),
उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा),
क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर।